संख्या–वे0आ0–2–696 / दस–2014–8(मु0स0स0) / 2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2014

विषयः मुख्य सचिव समिति द्वारा दृष्टिमिजिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट) संवर्ग /परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव समिति द्वारा दृष्टिमिजिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट) संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया :––

(i) विचारोपरान्त वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये सुविचारित निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है। नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तथा वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– को यथावत् बनाये रखा जाय।

(ii) नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग के ढ़ॉचे में उपलब्ध मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर तत्काल प्रभाव से अर्थात् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्बन्धित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया जाय। साथ ही प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव से अर्थात् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्बन्धित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराया जाय।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग

L.T. - Maleria -Optomatrics

की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–696 (1)/दस–2014–8(मु0स0स0)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

2– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

L.T. - Maleria -Optomatrics